राजस्व विभाग

युद्ध जागीर (पुरुस्कार)

दिनांक 24 मार्च, 1992

क्रमांक 265-ज-2-92/6216.—श्री दरिया सिंह, पुत्र श्री उदमी राम निवासी गांव कोइला, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3136-र-3-70/13457, दिनांक 10 जून, 1970 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-3-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रु० और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रु० से बढ़ाकर 300 रु० वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री दरिया सिंह की दिनांक 10 मई, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दरिया सिंह की विधवा श्रीमति भरपाई के नाम खरीफ 1991 से 300 रु० वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 368-ज-2-92/6220.—श्री टोलाराम, पुत्र श्री गोधा निवासी गांव गुडाना, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 244-आर-4-66/893, दिनांक 31 मार्च, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-3-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री टोला राम की दिनांक 6 अगस्त, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री टोला राम की विधवा श्रीमति सरवन के नाम रबी, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है ।

क्रमांक 503-ज(2)-92/6224.—श्री खरैती लाल, पुत्र श्री केसर मल, निवासी मकान नं० जी-516, मोहल्ला मीर सैदां, तहसील व जिला करनाल को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5920-र-III-70/1797, दिनांक 14 जनवरी, 1971 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रु० वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री खरैती लाल की दिनांक 20 जुलाई, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री खरैती लाल की विधवा श्रीमति शान्ति देवी के नाम रबी, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

शुद्धि पत्र

दिनांक 30 मार्च, 1992

क्रमांक 2706-ज (1)-91/6962.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 985-ज-I-91/8547, दिनांक 29 अप्रैल, 1991 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में 14 मई, 1991 को प्रकाशन की गई है, की अन्तिम लाईन में खरीफ 1991 से 300 रुपये वार्षिक की बजाये खरीफ 1990 से 300 रुपये वार्षिक पढ़ा जाये ।

एम० पी० ग्रोवर,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।